

राजस्थान पुलिस में सेवार्थ प्रवेश-द्वार

8.1 परिचय- जो युवा राजस्थान पुलिस में विभिन्न स्तर के पदों पर भर्ती होकर इस राजकीय सेवा में सहभागी बनना चाहते हैं उनके लिए इस सेवा में भर्ती होने के कई अवसर विद्यमान हैं जो इस प्रकार हैं।

1. भारतीय पुलिस सेवा (I.P.S.) : यूपीएससी द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से चयनित आई.पी.एस. अधिकारी जिन्हें राजस्थान केडर आवंटित होता है वे इस राज्य में पुलिस अधीक्षक (S.P.) से पुलिस महानिदेशक (D.G.P.) तक पदोन्नति पाकर सेवानिवृत्त होते हैं।
2. राजस्थान पुलिस सेवा (R.P.S.) : आर.पी.एस.सी. द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आर.पी.एस. में अधिकारियों की सीधी भर्ती होती है। ये अधिकारी प्रशिक्षण उपरान्त पुलिस उपाधीक्षक (Dy.S.P.) से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (Add.SP.) के पदों पर सेवाएँ देते हैं। लगभग 20-22 साल की राजस्थान पुलिस सेवा में सेवाएँ देने के बाद इनकी पदोन्नति भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) में हो जाती है। यहां पर ये अधिकारी पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक पुलिस एवं महानिरीक्षक पुलिस के पद तक पदोन्नति प्राप्त करते हैं। सीधी भर्ती के अलावा पदोन्नति से भी आर.पी.एस. अधिकारियों की भर्ती इस सेवा में होती है।
3. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा : आर.पी.एस.सी. द्वारा राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर्स के पद पर सीधी भर्ती की जाती है। उप निरीक्षक की पदोन्नति पुलिस निरीक्षक के पद पर होती है। पुलिस निरीक्षक से आर.पी.एस. में पदोन्नति होकर पुलिस उपाधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद तक पदोन्नति प्राप्त करते हैं। प्लाटून कमाण्डर्स जो आरएसी या मेवाड़ भील कोर में पदस्थापित होकर कम्पनी कमाण्डर एवं इसके बाद आर.पी.एस. में पदोन्नति प्राप्त करते हैं।
4. पुलिस कानिस्टेबल : राजस्थान पुलिस में पुलिस कानि. के पद पर सीधी भर्ती "भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड पुलिस मुख्यालय जयपुर" द्वारा की जाती है। पुलिस कानिस्टेबल की पदोन्नति हैड कानि., सहायक उप निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं पुलिस निरीक्षक के पद तक हो जाती है।
5. खेल कोटे से सीधी भर्ती-कानि, उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर एवं पुलिस उपाधीक्षक पद पर खेल कोटे से सीधी भर्ती होती है जिसका वर्णन अध्याय-14 में दिया गया है।

8.2 उप निरीक्षक/प्लाटून कमाण्डर :

राजस्थान पुलिस में अधीनस्थ सेवा के तहत उप निरीक्षक, प्लाटून कमाण्डर (पीसी आरएसी) एवं उप निरीक्षक (आईबी) के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया इस प्रकार है।

8.2.1 आवेदन प्रक्रिया : राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अन्य भर्तियों की तरह उप निरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर के पदों पर ऑनलाइन आवेदन पत्र समय-समय पर लिए जाते हैं।

8.2.2 आवेदक की पात्रता :

- शैक्षणिक योग्यता : केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री धारक हो।
- आयु सीमा : न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष से कम हो। विभिन्न वर्गों या अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु नियमानुसार छूट देय है।
 - (1) राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी एवं एमबीसी पुरुष को पाँच वर्ष अधिकतम आयु सीमा में छूट देय है।
 - (2) सामान्य महिला एवं ईडब्ल्यूएस महिला को पाँच वर्ष अधिकतम आयु में छूट देय है।
 - (3) एससी, एसटी, ओबीसी एवं एमबीसी महिला को अधिकतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट देय है।
 - (4) राजस्थान सरकार के कर्मचारियों एवं कर्तव्यपालन करते समय मारे गए पुलिस कर्मियों या कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अधिकतम 3 वर्ष छूट देय है।
 - (5) भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु में 40 वर्ष तक छूट देय है।

8.2.3 चयन प्रक्रिया : उक्त चयन प्रक्रिया तीन चरणों में सम्पन्न होती है-

(A) प्रथम चरण (लिखित परीक्षा) : आयोग आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम लिखित परीक्षा ऑफलाइन आयोजित करता है। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ (MCQ) प्रश्न पूछे जाते हैं।

(i) लिखित परीक्षा प्रारूप

क्रसं.	प्रश्न पत्र का नाम	प्रश्न संख्या	अंक	समयावधि
1.	प्रथम प्रश्न पत्र -सामान्य हिन्दी	100	200	2 घंटे

2.	द्वितीय प्रश्न पत्र—सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान	100	200	3 घंटे
----	---	-----	-----	--------

- लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 36 प्रतिशत एवं दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 40 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को आयोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित करता है। आयोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से विज्ञापित पदों के लगभग 20 गुणा तक के अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय को भेजता है।
- एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को आयोग न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 अंक तक रियायत दे सकता है।

प्रथम प्रश्न पत्र—सामान्य हिन्दी

- ❖ भाब्द रचना : संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
- ❖ भाब्द प्रकार : 1. तत्सम, तद्भव, दे ाज, विदे ि, 2. संज्ञा, सर्वनाम, वि षेण, क्रिया, अव्यय (क्रिया वि षेण, संबंध सूचक, विस्मयबोधक निपात), भाब्द ज्ञान : पर्यायवाची, विलोम, भाब्द युग्मों का अर्थ भेद, वाक्यां ा के लिए भाब्द चयन, संबंधवाची भाब्दावली, भाब्द भुद्धि, व्याकरणिक कोटियाँ : परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, वाक्य भुद्धि, विराम चिह्नों का प्रयोग, मुहावरे/लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक भाब्दावली : प्र ासनिक, विधिक (वि षेतः)

द्वितीय प्रश्न पत्र—सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान

राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परम्परा एवं विरासत

- ❖ राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, प्रमुख राजवं ा, तत्कालीन प्र ासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक—सांस्कृतिक मुद्दे, राजस्थान में स्वतंत्रता आन्दोलन, जनजागरण व राजनीतिक एकीकरण, स्थापत्य कला की प्रमुख वि षेताएँ—किले एवं स्मारक, कलाएँ, चित्रकलाएँ और हस्त िल्प, राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ, मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य, राजस्थानी संस्कृति, परम्परा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आन्दोलन, संत एवं लोग देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व।

भारत का इतिहास

प्राचीन काल एवं मध्यकाल

- ❖ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख वि षेताएँ एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ कला, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य।
- ❖ प्रमुख राजवं ा, उनकी प्र ासनिक व्यवस्था। सामाजिक—आर्थिक परिस्थितियाँ, प्रमुख आन्दोलन।

आधुनिक काल

- ❖ आधुनिक भारत का इतिहास (18वीं भाताब्दी के मध्य से वर्तमान तक)—प्रमुख घटनाएँ, व्यक्तित्व एवं मुद्दे।
- ❖ स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन— विभिन्न अवस्थाएँ, इनमें दे ा के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान
- ❖ 19वीं एवं 20वीं भाताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आन्दोलन।
- ❖ स्वतंत्र उत्तर काल में राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन।

- द्वितीय प्रश्न पत्र—सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान— इस प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम आर.ए.एस. के समान है केवल

इस बार महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध से संबंधित कुछ कानून जोड़े हैं।

- (B) द्वितीय चरण (i) शारीरिक दक्षता परीक्षा :— लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार संभाग मुख्यालय या निर्धारित स्थान पर शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर द्वारा गठित बोर्ड द्वारा उक्त अभ्यर्थियों का पी.ई.टी. लिया जाएगा जो 100 अंक का होगा जिसका विवरण इस प्रकार है :—

इवेंट का नाम	पुरुष		महिला	
	समय	अंक	समय	अंक

100मीटर दौड़	14सैकण्ड	40	17सैकण्ड	40
	15सैकण्ड	25	18 सैकण्ड	25
	16 सैकण्ड	15	19 सैकण्ड	15
	16सैकण्ड बाद	00	19सैकण्ड बाद	00
लम्बी कूद	15 फीट से ऊपर	30	10 फीट से ऊपर	30
	14 फीट	20	09फीट	20
	13फीट	10	08 फीट	10
	13 फीट बाद	00	08 फीट बाद	00
चिनिंग अप	7बार	30	—	—
	6बार	20	—	—
	5बार	10	—	—
	5बार से कम	00	—	—
गोलाफेंक 4 किलो.	—	—	16 फीट	30
	—	—	15 फीट	20
	—	—	14 फीट	10
	—	—	14 फीट से नीचे	00

(ii). शारीरिक मानदंड—

क्र सं	विवरण	ऊँचाई	सीना	वजन
1.	पुरुष सामान्य क्षेत्र	168 Cm	81Cm	-
	पहाड़ी जनजाति क्षेत्र के पुरुष	160 Cm	79Cm	
2.	महिला	152 Cm	-	47.5Kg
	➤ राजस्थान के एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा लम्बाई में 5 सेंटीमीटर की छूट देय है।			

- (1) शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को चयन की पात्रता अर्जित करने हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे।
- (2) शारीरिक मानदंड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 अंकों में से प्राप्त अंकों की अभ्यर्थी वार सूची बनाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा उक्त सूची पुनः आयोग को भिजवाई जाती है।
- (3) आयोग अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट बनाकर साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का परिणाम जारी कर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित करता है।
- (4) साक्षात्कार हेतु रिक्त पदों के अधिकतम तीन गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है।
- (5) एससी/एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों ने यदि लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन पर यह शर्त लागू नहीं होगी अर्थात् तीन गुणा से अधिक को भी बुलाया जा सकता है।

(C) तीसरा चरण (साक्षात्कार) :साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गए अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा गठित बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है।

- (1) साक्षात्कार 50 अंक का होगा।
- (2) उपनिरीक्षक के साक्षात्कार में न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 प्रतिशत अंक निर्धारित है अर्थात् 50 में से न्यूनतम 18 अंक लाने जरूरी हैं।
- (3) साक्षात्कार में अभ्यर्थी की उप निरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर राजस्थान पुलिस के पद के लिए उसकी उपयुक्तता, व्यक्तित्व, व्यवहार पद के प्रति अभिवृत्ति, निर्णय क्षमता, नेतृत्व गुण, राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान समसामयिक मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण आदि का मूल्यांकन किया जाता है।
- (4) साक्षात्कार के दौरान अतिरिक्त योग्यताओं के लिए अंक दिए जाएँगे जैसे एन.सी.सी. "सी" प्रमाण पत्र एवं अपराध शास्त्र में डिप्लोमा एवं डिग्री या पुलिस प्रशासन एक प्र नपत्र के रूप डिग्री कोर्स में हो।

(D)अंतिम चयन :

- (1) साक्षात्कार देने वाले कुल अभ्यर्थियों में से साक्षात्कार में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक एवं कुल 45 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बनाकर आयोग अंतिम परिणाम जारी करेगा। आयोग अंतिम मेरिट में

लिखित परीक्षा (400 अंक) में प्राप्त अंक एवं साक्षात्कार (50 अंक) कुल 450 अंक में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट जारी करेगा। चयन मेरिट में शारीरिक दक्षता परीक्षा के 100 अंक में से प्राप्त अंकों को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। ये केवल क्वालिफाई परीक्षा है।

- (2) आयोग विवेकानुसार महिला अभ्यर्थियों एससी, एसटी, ओबीसी एवं एमबीसी वर्ग के लिए 30 प्रतिशत साक्षात्कार एवं कुल 40 प्रतिशत अंक लाने वालों को चयन हेतु पात्र घोषित कर सकता है।
- (3) अंतिम मेरिट सूची आयोग द्वारा पुलिस महानिदेशक राजस्थान जयपुर को प्रेषित की जाती है जहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई वरीयता, उसकी श्रेणी आदि के आधार पर चयन किया जाता है।
- (4) पुलिस मुख्यालय द्वारा अभ्यर्थियों का मेडिकल करवाने के बाद पद पर नियुक्ति दी जाकर राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

8.3 उप निरीक्षक परीक्षा तैयारी रणनीति

1. उपनिरीक्षक या प्लाटून कमाण्डर के पद पर चयनित होकर राजस्थान पुलिस के अधिकारी के रूप में सेवाएँ देने की आकांक्षा रखने वाले अभ्यर्थियों को स्नातक के अध्ययन के दौरान ही समानान्तर तैयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए।
2. इस परीक्षा के वर्तमान पैटर्न में दोनों प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। परीक्षा में सामान्य हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का भारांक समान है। सामान्य हिन्दी का पाठ्यक्रम सीमित है जबकि (सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान)का पाठ्यक्रम थोड़ा विस्तृत है इसलिए सामान्य हिन्दी में दूसरे प्रश्न पत्र (सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान)की तुलना में कम मेहनत से भी सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को तैयार कर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं।
3. इस परीक्षा के अभ्यर्थी को सर्वप्रथम परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों के पाठ्यक्रम के टॉपिक का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को सूक्ष्मता से समझना चाहिए।
4. उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमाण्डर राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व की परीक्षा की कटऑफ का अवलोकन करना उचित रहेगा ताकि उसके आधार पर चयन लायक अंकों का मोटा अनुमान लगाकर अपना लक्ष्य तय किया जा सके। वर्ष 2016 की उप निरीक्षक परीक्षा के कट ऑफ श्रेणी वार इस प्रकार रहे हैं—

श्रेणी	वर्ष 2016 लिखित परीक्षा (400 अंक)		वर्ष 2016 लिखित परीक्षा (400) अंक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) (100) अंक	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
सामान्य (Gen)	201.90	न्यूनतम उत्तीर्णांक वाली सभी महिला अभ्यर्थी उत्तीर्ण	307.11	250.39
सामान्य (TSP)	201.90		263.34	250.39
एस.सी. (SC)	161.89		255.42	219.39
एस.टी. (ST)	164.96		268.74	208.95
एस.टी. (ST) (TSP)	155.36		211.86	अनुपलब्ध
ओबीसी (OBC)	201.90		307.11	250.39
एमबीसी (MBC)	201.90		307.11	250.39
सहरिया	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध	---
भूतपूर्व सैनिक	सभी		233.71	---

इस कट ऑफ के आधार पर कहा जा सकता है कि इस परीक्षा में लिखित परीक्षा की कट ऑफ सामान्य, ओबीसी, एमबीसी में 50% एवं अन्य वर्गों की लगभग 40% रही है जबकि महिला वर्ग में न्यूनतम अंक पाने वाली सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया है लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए गए 02 से 03 गुना अभ्यर्थियों की कट ऑफ को देखा जाए तो इसमें लिखित परीक्षा की कट ऑफ से लगभग 100 अंक का अंतर है। इस तरह लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ-साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी 80 से 100 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का ही साक्षात्कार हेतु चयन होने की संभावना रहती है लेकिन लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता की कट ऑफ श्रेणी के आस-पास के अभ्यर्थियों का अंतिम चयन केवल विशेष श्रेणी के क्षेत्रीय आरक्षण के पदों पर होने वाले चयन के अपवाद को छोड़कर लगभग नहीं होता है। पिछली भर्ती में सामान्य व ओबीसी के पुरुष अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में 310 या अधिक अंक थे उनका चयन होने की संभावना है। अन्य श्रेणी की भी इसी अनुपात में मेरिट रहने की संभावना है। इसलिए विशेष रूप से सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस में चयन के लिए प्रतिबद्ध अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 280-300

से अधिक अंक लाने का लक्ष्य बनाकर तदनुसार रणनीति एवं कार्ययोजना बनानी चाहिए। वहीं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी 250 से अधिक का लक्ष्य रखना चाहिए।

5. कटऑफ के अवलोकन के बाद पूर्व की परीक्षा (2011 एवं 2018) में आए प्रश्न पत्रों एवं पाठ्यक्रम के टॉपिक का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन करना चाहिए। प्रश्नों की प्रकृति, प्रारूप, स्तर आदि के बारे में समझना चाहिए। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिन्दी के वर्ष 2011 एवं 2016 की परीक्षा के प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के टॉपिक वाइज पूछे गए प्रश्नों के वर्गीकरण एवं विशेषण इस प्रकार है—

पाठ्यक्रम बिन्दु	वर्ष 2011 का प्रश्नपत्र	वर्ष 2016 का प्रश्नपत्र	पाठ्यक्रम बिन्दु	वर्ष 2011 का प्रश्न पत्र	वर्ष 2016 का प्रश्न पत्र
संधि	04	06	समानार्थी शब्द	—	—
समास	05	05	शब्द शुद्धि	10	06
उपसर्ग	03	05	कारक / परसर्ग	06	05
प्रत्यय	03	02	लिंग / वचन	03	01
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश	06	08	पुरुष	—	—
संज्ञा	04	04	काल	02	01
सर्वनाम	04	—	वृत्ति	01	02
विशेषण	04	01	पक्ष	01	02
क्रिया	01	04	वाच्य	01	03
अव्यय	05	02	वाक्य रचना	05	05
पर्यायवाची	03	04	वाक्य शुद्धि	10	04
विलोम शब्द	02	04	विराम चिह्न	01	02
शब्द युग्म	03	01	मुहावरें / लोकोक्ति	10	09
वाक्यांश के लिए शब्द	07	07	पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली	07	07
समश्रुत शब्द	—	01			

इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि (i) शब्द रचना (संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय) शब्द प्रकार (तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया) पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, शब्द शुद्धि, कारक, वाक्य रचना, एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली से अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। (ii) सामान्य हिन्दी के पाठ्यक्रम में शब्द रचना, शब्द प्रकार एवं व्याकरणिक कोटियाँ व्याकरण के नियमों पर आधारित हैं इसलिए इनकी अच्छी तैयारी हेतु पहले वर्ण विचार (चाहे पाठ्यक्रम में नहीं है परन्तु शब्द रचना सहित व्याकरणिक बिन्दुओं को समझने हेतु इनकी समझ जरूरी है।) तत्पश्चात् शब्द रचना, शब्द प्रकार, व्याकरणिक कोटियाँ, शब्द शुद्धि, वाक्य रचना एवं वाक्य शुद्धि का अध्ययन करना चाहिए। इन सभी बिन्दुओं के नियमों को पहले उदाहरण एवं अभ्यास से गहनता से समझे और याद करें। इनसे संबंधित नियम समझने के बाद विद्यार्थी के लिए हिन्दी व्याकरण का कोई भी प्रश्न हल करना आसान होगा।

- (iii) पाठ्यक्रम में शामिल शब्द ज्ञान, विराम चिह्न, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पारिभाषिक शब्दावली आदि बिन्दुओं को याद करने बार-बार अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए स्वयं के नोट्स बनाकर निरंतर रिवीजन करते हुए कंठस्थ करना ही उचित तरीका है। नोट्स में भी विशेष रूप से उस सामग्री को शामिल करना चाहिए जिसे समझना या याद रखना कठिन है या जिन्हें जल्दी भूल जाते हैं। उनके नोट्स बनाकर रिवीजन करना चाहिए। इस तरह सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर पकड़ बनाई जाकर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। जैसा कि पिछली बार कतिपय अभ्यर्थियों के 180 से अधिक अंक आए थे। सामान्य हिन्दी में जो टॉपिक समझने में कठिन हैं तो उनको समझने हेतु विषय विशेषज्ञ का मार्गदर्शन लेना चाहिए। यूट्यूब या अन्य माध्यमों पर उपलब्ध ऑनलाइन वीडियो से भी उन्हें समझकर तथा उनका बार-बार अध्ययन करना चाहिए।
6. सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान का पाठ्यक्रम विस्तृत है एवं इसमें सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र की बजाय अभ्यर्थी को औसतन कम अंक आते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के पाठ्यक्रम में से उन टॉपिक का चयन करें जिनमें हर बार प्रश्न आते हैं। साथ ही जो टॉपिक कमजोर हैं या जिन्हें अच्छी तरह पढ़ने व समझने

की आवश्यकता है। आप उन टॉपिक का अच्छी तरह से अध्ययन करें, समझे जिससे आपका कमजोर पक्ष मजबूत हो सके यही विजेता बनने की सही रणनीति है।

चयनित अभ्यर्थियों के (सामान्य अध्ययन एवं सामान्य विज्ञान) के प्रश्न पत्र के अंकों का ज्यादा अंतर नहीं होता है। औसत अंक अधिकतर अभ्यर्थियों के होते हैं लेकिन सामान्य हिन्दी के प्रश्न पत्र के अधिकतम एवं औसत अंकों में ज्यादा अंतर होता है इसलिए हिन्दी के प्रश्न पत्र में अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों के चयन की अधिक संभावना होती है। दूसरी ओर इसका पाठ्यक्रम भी सीमित है इसलिए इस प्रश्न पत्र को अधिक सटीक रणनीति से तैयार करके सफलता अर्जित की जा सकती है लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान GK & GS के प्रश्न पत्र को कम महत्व दिया जावे। हमारा यह तात्पर्य है कि दोनों प्रश्न पत्र को समान समय दो तो इतने समय में सामान्य हिन्दी में अपनी पकड़ मजबूत की जा सकती है तथा 200 में से 160 अंक या उससे भी अधिक अंक भी ला सकते हैं जो अन्तिम चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान (GK & GS) का पाठ्यक्रम आर.ए.एस. के समान है लेकिन प्रश्न पत्र का स्तर आर.ए.एस. से थोड़ा सरल होता है।

आयोग द्वारा वर्ष 2016 की परीक्षा के सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम के टॉपिक वाइज पूछे गए प्रश्नों का विवरण इस प्रकार है—

क्र. स.	पाठ्यक्रम के विषय	प्रश्न संख्या	क्र. स.	पाठ्यक्रम के विषय	प्रश्न संख्या
1.	राजस्थान का इतिहास कला, संस्कृति	11	7.	भारतीय अर्थव्यवस्था	09
2.	भारतीय इतिहास	04	8.	राजस्थान की अर्थव्यवस्था	05
3.	भारत एवं विश्व का भूगोल	10	9.	समसामयिकी (राजस्थान, भारत एवं विश्व)	16
4.	राजस्थान का भूगोल	05	10.	सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी गणित	15
5.	भारत की राजव्यवस्था	11	11.	तार्किक एवं मानसिक योग्यता	10
6.	राजस्थान की राजव्यवस्था	04			

वर्ष 2016 के इस प्रश्न पत्र के विषयवार प्रश्नों के अवलोकन से स्पष्ट है कि पाठ्यक्रम में कुल 7 विषय शामिल है तथा इनमें से प्रथम 6 विषय से औसतन 15—15 प्रश्न पूछे हैं तथा अंतिम टॉपिक से 10 प्रश्न पूछे हैं। इस बार राजस्थान की राजव्यवस्था के साथ एक टॉपिक राजस्थान पुलिस कानि. के पाठ्यक्रम की तरह महिलाओं एवं बालकों के विरुद्ध अपराध एवं कानून जोड़ा गया है इसलिए इस टॉपिक से 3—4 प्रश्न अधिक पूछे जा सकते हैं। इस पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिक के बारे में कई किताबों या गाइड से विस्तृत अध्ययन के बजाय विषयवार ऐसे टॉपिक जिनमें से आयोग द्वारा निरंतर प्रश्न पूछे जाते रहें हैं उन चयनित टॉपिक की स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए।

- पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्रों का अध्ययन करने के बाद सम्पूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करने वाली पुस्तकों का चयन करना चाहिए। यदि आपने पूर्व में परीक्षा दी है या आप आर.ए.एस. या समान पाठ्यक्रम वाली किसी परीक्षा की पूर्व में तैयारी कर रहें हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि सामान्य हिन्दी तथा सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के लिए पूर्व में स्तरीय पुस्तकें तथा आपके द्वारा बनाए गए नोट्स हैं तो आप उन्हीं को ही निरंतर पढ़ें। केवल समसामयिकी या अन्य अपडेशन वाले टॉपिक की तैयारी हेतु नई पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। कई बार कम उपयोगी पुस्तकों का चयन करने से भी वे आपकी सफलता में बाधक बन जाती है। ऐसी पुस्तकें जिनमें संबंधित टॉपिक सही तथ्यों के साथ सरल भाषा में दिए हो एवं त्रुटियाँ कम से कम हो उन प्रमाणित पुस्तकों का अधिक से अधिक पढ़कर रिवीजन करें।
- यदि आप पहली बार तैयारी शुरू कर रहें हैं तो प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र हेतु अपने वरिष्ठ साथी या शिक्षक या मार्गदर्शक से सलाह लेकर अच्छी पुस्तकों का चयन करें है या आपके मार्गदर्शन के लिए कतिपय पुस्तकों के नाम हमारे द्वारा भी सुझाये गये हैं उनमें से उपयुक्त पुस्तकों का चयन कर सकते हैं। कम से कम पुस्तकें एवं अधिक से अधिक रिवीजन के फॉर्मूले को ध्यान में रखकर तैयारी करें। पुस्तकों के सम्बंध में हमारी राय है कि अभ्यर्थी को एनसीईआरटी (NCERT) या आर0बी0एस0ई (RBSE) या राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों को पढ़नी चाहिए क्योंकि इनमें दिए गए तथ्य एवं पाठ्य सामग्री प्रमाणिक होती है तथा परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के सम्बंध में विवाद होने पर इन पुस्तकों में दिए गए तथ्यों के आधार पर ही सामान्यतः निर्णय लिया जाता है इसलिए परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी को इन्हीं पुस्तकों से तैयारी करनी चाहिए।

9. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को एनसीईआरटी (NCERT) की कक्षा 6 से 10 तथा कक्षा 11वीं-12वीं की इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था का अध्ययन करके उनके संक्षिप्त नोट्स बना लेने चाहिए। एक दो बार पुस्तक पढ़ने से सभी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं तथा बाद में उनके बनाए गए नोट्स अगली बार पढ़ने से अभ्यर्थी का समय बचेगा। यदि एन.सी.ई.आर.टी. की पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं है या जो विद्यार्थी नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं वे कक्षा 6वीं से 12वीं तक एन.सी.ई.आर.टी. के प्रत्येक विषय (इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, विज्ञान एवं तकनीकी) के लिए अलग-अलग पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध हैं उन पुस्तकों को दूसरे विकल्प के तौर पर अध्ययन कर सकते हैं।
10. **पुस्तकों के बारे में जानकारी :**
1. सामान्य हिन्दी— आर0बी0एस0ई (RBSE) की नवीनतम व्याकरण या राघव प्रकाश की सामान्य हिन्दी या कोई भी हिन्दी व्याकरण की मानक पुस्तक।
 2. सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान (GK & GS): राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति। राजस्थान पैनोरमा या लक्ष्य राजस्थान में से कोई एक पुस्तक। सिखवाल मानचित्रावली राजस्थान का इतिहास डॉ गोपीनाथ शर्मा या आर0बी0एस0ई (RBSE) की पुस्तकें पढ़नी चाहिए।
 3. भारत का इतिहास: ज्ञान इतिहास एन.सी.ई.आर.टी. सार संग्रह, भारत की राज व्यवस्था —एम लक्ष्मीकांत
 4. विश्व एवं भारत का भूगोल —महेश कुमार बर्णवाल या परीक्षावाणी की भारत एवं विश्व का भूगोल एवं आक्सफोर्ड एटलस
 5. सामान्य विज्ञान —ल्यूसेंट
 6. गणित एवं रीजनिंग—आर.ए.अग्रवाल या आर. एन. माथुरिया।
 7. करंट अफेयर्स —एक राष्ट्रीय मासिक पत्रिका (दृष्टि या क्रोनिकल) एवं एक राज्य स्तरीय मासिक या द्विमासिक पत्रिका —मूल या क्रोनोलॉजी एवं सुजस।
 8. राजस्थान की अर्थव्यवस्था— आर्थिक समीक्षा राजस्थान एवं लक्ष्य या पैनोरमा में से एक पुस्तक से अर्थव्यवस्था अध्ययन।
 9. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी— स्पेक्ट्रम या टी.एम.एच प्रकाशन।

8.4 राजस्थान कानिस्टेबल भर्ती

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला या यूनिट या बटालियन में कानिस्टेबल सामान्य, कानिस्टेबल बैण्ड, कानि. चालक एवं अन्य टैक्नीकल पदों के लिए भर्ती की जाती है। भर्ती के आयोजन हेतु राज्य के निर्देशानुसार महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर के अधीन भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

(A) भर्ती हेतु पात्रता, योग्यता एवं छूट :-

- (1) नागरिकता— अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन या नागरिक होना चाहिए।
- (2) शैक्षणिक योग्यता :-

जिला पुलिस कानि.	मान्यता प्राप्त स्कूल या परीक्षा बोर्ड से सीनियर सैकण्डरी कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।
आरएसी या एम.बी.सी. कानि.	मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

- (3) कानि. चालक पद हेतु ड्राइविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक होगा जो विज्ञप्ति दिनांक से पूर्व का जारी होना चाहिए।
- (4) आयु सीमा :-

वर्ग	महिला/पुरुष की न्यूनतम आयु	महिला/पुरुष की अधिकतम आयु कानि.(सामान्य/चालक)	
		महिला	पुरुष
सामान्य वर्ग	18 वर्ष	28/31 वर्ष	23/26 वर्ष
एससी/एसटी/ओबीसी/एम.बी.सी./सहरिया आरक्षित वर्ग	18 वर्ष	33/36 वर्ष	28/31 वर्ष
राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशार्थियों और कर्तव्य का पालना करते हुए मारे गये मृतक पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों के आश्रित	18 वर्ष	31/34 वर्ष	26/29 वर्ष
भूतपूर्व सैनिक		42 वर्ष	42 वर्ष

(B) आरक्षण :-

- (1) महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% आरक्षण वर्गानुसार आवंटित पदों में से रहेगा।
- (2) महिला अभ्यर्थियों के 30% आरक्षण में से 8% विधवाओं एवं 2% तलाक शुदा महिला के लिए पद आरक्षित रहेंगे।
- (3) किसी वर्ग में पात्र महिलाएँ उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से रिक्तियों को भरा जाएगा। महिलाओं से रिक्त पदों को अगले वर्ष में कैरिफार्वड नहीं किया जाएगा।
- (4) भूतपूर्व सैनिक के लिए 12.5% पद आरक्षित रहेंगे।
- (5) टी.एस.पी. क्षेत्र में स्थानीय अभ्यर्थियों हेतु पद आरक्षित है जिसमें अनुसूचित जाति-5% अनुसूचित जन जाति-45% अति पिछडा वर्ग-5% अन्य पिछडा वर्ग-10% सामान्य वर्ग-35% स्थानीय अभ्यर्थियों का वर्गानुसार आरक्षण रहेगा।

शारीरिक मापदण्ड :-

वर्ग	सामान्य क्षेत्र		बारां जिले के सहरिया एवं टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
ऊँचाई	152 Cm	168 Cm	145 Cm	160Cm
सीना- पुरुषों के लिए	—	81-86 Cm	—	74-79Cm
वनज-महिलाओं के लिए	47.5 Kg.	—	43Kg.	—

नोट : सामान्य क्षेत्र में वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार एससी एवं एसटी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें ऊँचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर छूट देय होगी।

(C) भर्ती चयन प्रक्रिया :-

	परीक्षा चरण	कानि. (सामान्य)	कानि. (चालक)
भाग-I	लिखित परीक्षा	150	150
भाग-II	पी.ई.टी. एवं पी.एस.टी.	30	20
भाग-III	दक्षता परीक्षा (ड्राइवर, बैण्ड, माउंटेड एवं डॉग स्कवॉड)	—	30
विशेष योग्यता एन.सी.सी., होमगार्ड व अन्य डिप्लोमा		20	—
योग		200	200

भाग-I लिखित परीक्षा प्रारूप :-

विशय	प्रश्न	अंक	समय
------	--------	-----	-----

तार्किक योग्यता एवं कम्प्यूटर ज्ञान	60	60	2 Hrs
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी	35	35	
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानूनी ज्ञान	10	10	
राजस्थान का भूगोल, इतिहास, अर्थ शास्त्र, राजनीति, संस्कृति एवं कला	45	45	
योग	150	150	

(1) प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय 150 प्रश्न पूछे जाएँगे।

(2) प्रश्न पत्र कुल 150 अंक का होगा।

(3) प्रत्येक प्रश्न ½ अंक का होगा एवं 0.25 अंक गलत उत्तर के लिए काट जाएँगे।

(4) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य, ओ.बी.सी., अति पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को समग्र रूप से 40% अंक लाने होंगे एवं एससी, एसटी 36% एवं भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% की छूट देय होगी।

(5) टी.एस.पी. क्षेत्र पर क्रम सं. 04 पर अंकित नियम लागू नहीं होगा।

भाग-II इस चरण में शारीरिक दक्षता (PET) एवं भारीरिक मानदंड परीक्षा (SET) आयोजित होगी।

पद	पुरुष		महिला		भू.पूर्व सैनिक		सहरिया क्षेत्र एवं SC/ST TSP के लिए		अंक
	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	टेस्ट	समय	
कानि. (सामान्य, दूरसंचार)	5 किमी	25 मिनट	5 किमी	35 मिनट	5 किमी	30 मिनट	5 किमी	30 मिनट	30
कानि. (चालक, बैण्ड, माउंटेड, डॉग स्कावॉड)	5 किमी	25 मिनट	5 किमी	35 मिनट	5 किमी	30 मिनट	5 किमी	30 मिनट	20

(a) मेडिकल मापदण्ड :-

1. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि बिना चश्मा के 6X6 होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
3. अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराना, नसें फूली होना, भैंगापन, रतौंधी, रंगदृष्टि दोष, हकलाकर बोलना, पैर समतल, हर्निया, शल्य समस्या या अन्य कोई विकृति अंग भंग जो कर्तव्य पालन में बाधक हो नहीं होना चाहिए।

(b) शारीरिक मापदण्ड :-

वर्ग	सामान्य क्षेत्र		बारां जिले के सहरिया एवं टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए	
	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष
ऊँचाई	152 Cm	168 Cm	145 Cm	160Cm
सीना— पुरुषों के लिए	—	81–86 Cm	—	74–79Cm
वजन—महिलाओं के लिए	47.5 Kg.	—	43Kg.	—

नोट : सामान्य क्षेत्र में वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार एससी एवं एसटी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो तो उन्हें ऊँचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर छूट देय होगी।

भाग-III दक्षता परीक्षा एवं विशेष योग्यता विवरण—

1. निम्न विशेष योग्यता प्रमाण—पत्रों में से कोई दो विशेष योग्यताएँ मेरिट में जोड़ी जाएगी।

(a) एन.सी.सी. प्रमाण—पत्र

➤ ए-10 अंक, बी-8 अंक, सी-6 अंक

(b) होम गार्ड स्वयं सेवक अनुभव

- 03 वर्ष लगातार—10 अंक, 02 वर्ष लगातार—08 अंक, 01 वर्ष लगातार— 06 अंक

(c) पुलिस संबंधी विषयों में डिग्री या डिप्लोमा—

- एम.एस.सी साइबर सिक्योरिटी, एम.एस.सी/एम.ए. क्रिमिनोलॉजी, एलएलएम एवं पुलिस प्रशासन विषय में अन्य पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स —05 अंक
- बी.ए. सिक्योरिटी मनेजमेन्ट/बी.ए. सोशल साइंस, पुलिस प्रशासन में कम से कम एक विषय या विधि— 5 अंक
- ऊपर वर्णित पाठ्यक्रमों में वर्णित —10 अंक

(D) **अंतिम चयन** :—लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र एवं साक्षात्कार अंक को जोड़कर अंतिम मेरिट सूची वर्गवार जारी की जाएगी।

(I) कानि. भर्ती सिलेबस

विषय	विवरण
(I) तार्किक योग्यता एवं कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान	कोडिंग और डिकोडिंग, घड़ी और कैलेंडर, अंकगणितीय संख्या भांखला, समस्या को सुलझाना, समरूपता, रैंकिंग, निर्णय लेना, स्थानिक उन्मुखीकरण, दृश्य स्मृति, रिश्ता, विश्लेषण, अंकगणितीय तर्क, अंतरिक्ष दृश्य, अंकीय वर्गीकरण, कथन निश्कर्ष
(II) सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं समसामयिकी	वातावरण, प्राणिविज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, वनस्पति विज्ञान, बेसिक कम्प्यूटर, भारतीय संस्कृति, भूगोल, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, बेसिक जी. के., खेल, इतिहास, संस्कृति, परम्परा और त्यौहार, भारतीय इतिहास, भौतिक विज्ञान, विश्व आविष्कार, व्यावहारिक विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान।
(III) महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में कानूनी ज्ञान	
(IV) राजस्थान का सामान्य ज्ञान	राजस्थान का भूगोल, इतिहास, अर्थ शास्त्र, राजनीति, संस्कृति एवं कला

8.5 सहायक स्टाफ की भर्ती

राजस्थान पुलिस विभाग के अन्तर्गत निम्न पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सीधी भर्ती की जाती है जो राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर समय-समय पर जारी होती है।

- | | | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|----------------------|
| 2. कुक | 2. स्वीपर | 3. धोबी | 4. जलवाहक | 5. नाई |
| 6. सइस | 7. खाती | 8. कैनल बॉय | 9. फिटर | 10. बागवान एवं फर्मा |
| 11. वा रमेन | 12. दर्जी | 13. बारबर | 14. मोची | |

8.5.1 आवेदन प्रक्रिया :—आवेदककर्ता डाक या व्यक्ति तः संबंधित कार्यालय में निम्न भात के साथ फॉर्म भरकर जमा

करवा सकते है।

8.5.2 आयु :—आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम एवं 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छुट होगी। विधवा व तलाक भुदा महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। विधवा को अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण—पत्र एवं तलाक शुदा महिला के मामलें में तलाक का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होता है।

8.5.3 भौक्षणिक योग्यता :—अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम पाँचवीं कक्षा

उत्तीर्ण होना आव यक है। जिस कार्य के लिए आवेदन किया है उसका अनुभव होना चाहिए।

- 8.5.4 **भारीरिक योग्यता** :-आवेदक भारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई मानसिक एवं भारीरिक दोश नहीं होना चाहिए जो उसकी सेवा सम्पादित करने में बाधक हो। अंतिम चयन पत्र चात् अधिसूचित चिकित्सा अधिकारी का इस आ पत्र से प्रमाण पत्र प्रमाणित करना अनिवार्य है।
- 8.5.5 **चरित्र** :-आवेदक को दो उत्तरदायित्व व्यक्तियों जो आवेदक के रि तेदार न हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे। आवेदक को इस आ पत्र का भापथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोशसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित हो तो आवेदक को पूर्ण विवरण भापथ पत्र पर अंकित करना होगा। उक्त भापथ पत्र नोटरी अथवा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 8.5.6 **जाति प्रमाण पत्र** :-अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होती है।
- 8.5.7 **अन्य दस्तावेज** :-उक्त दस्तावेज के अलावा आवेदककर्ता को विवाह प्रमाण पत्र, दहेज न लेने बाबत भापथ पत्र, एक से अधिक पत्नी या पति न होने बाबत भापथ पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, संतान संबंधी प्रमाण पत्र, जिला नियोजन प्रमाण पत्र।
- 8.5.8 **चयन प्रक्रिया**— संबंधित विभाग द्वारा गठित बोर्ड का नियुक्ति अधिकारी द्वारा साक्षात्कार एवं अनुभव के आधार पर चयन किया जाता है।